

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:-प.1(क)(25)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/17/5476

दिनांक:-२-5-18

आदेश

राज्य की निकायों में कार्यरत अधिकारियों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक एफ.14(1)एफडी/(रूल्स)2013-11 दिनांक 28.06.13 के अनुसार फिक्स वेतन देय था, को राज्य की निकायों में 7वें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप दिनांक 01.01.2017 से फिक्स वेतन नियतन किया जाना है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/(रूल्स)2017 दिनांक 30.10.17 एवं एफ.12(6)एफडी/(रूल्स)2017 दिनांक 09.12.2017 (अनुसूची-IV) के अनुसार उनको देय फिक्स वेतन में परिवर्तन किया गया है।

विभाग द्वारा दिनांक 02.01.15, 15.02.16 एवं 09.11.16 को आदेश जारी कर विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। अब उनको विभागीय आदेश क्रमांक 361 दिनांक 14.03.2018 की निरन्तरता में जारी अधिसूचना क्रमांक 6547 दिनांक 20.03.2018 के प्रावधानानुसार वित्त विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत निम्नानुसार फिक्स वेतन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पदनाम	ग्रेड-पे	01.01.2017 से देय फिक्स वेतन
01.	अधिशिषी अधिकारी-IV	4200	26,500/-
02.	कर निर्धारक	4800	31,100/-
03.	राजस्व अधिकारी-II	4800	31,100/-

उपरोक्त कार्मिकों को नवीन फिक्स पारिश्रमिक वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के बिन्दु 3(i) व 3(j) एवं Rule 23 व 24 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.01.17 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक, जो भी पश्चात् हो, देय होगा।

sd-

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(क)(25)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/17/5477-5675 दिनांक:-२-5-18

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
02. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
03. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

h

(मुकेश कुमार मीणा)

अतिरिक्त निदेशक